

(नियमावली का नियम-8 देखें)

उत्तर प्रदेश में विकलांगता-निवारण के प्रचार प्रसार में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र

- 1- स्वैच्छिक संस्था का नाम: .....
- 2- पंजीकृत कार्यालय:.....
- 3- पत्र व्यवहार का पूर्ण पता:.....
- 4- स्वैच्छिक संस्था का कार्यक्षेत्र.....
- 5- निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर,अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी)  
(अधिनियम,१९९५ के अधीन पंजीकरण संख्या व दिनांक)  
(पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
- 6- स्वैच्छिक संस्था का स्मृति-पत्र एवं उसकी नियमावली की प्रति संलग्न की जाए:-
- 7- विगत दो वर्षों की प्रगति आख्या (संलग्न की जाए).....
- 8- योजना जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है :-

क्र.सं.	पद का नाम	प्रार्थित धनराशि	मांग का औचित्य/आगणन का आधार	टिप्पणी

- 9- स्वैच्छिक संस्था के आय व्यय का विवरण:.....
- 10- स्वैच्छिक संस्था द्वारा पूर्व में सम्पादित किए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण  
(संलग्न की जाए)
- 11-विकलांगता के क्षेत्र में अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	प्राप्त धनराशि	वर्ष	उपभोग की स्थिति

- 12- आवेदन-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक,विकलांग कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश को अग्रसारित करने हेतु संबंधित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी की संस्तुति
- 13- आवेदन-पत्र निदेशक,विकलांग कल्याण विभाग,उत्तर प्रदेश को सीधे प्रस्तुत किये जाने का कारण एवं उसकी आवश्यकता का उल्लेख किया जाए |

दिनांक.....

**प्रबन्धक/सचिव**  
के मुहर सहित हस्ताक्षर  
(स्वैच्छिक संस्था)